RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –III GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **POLITICAL**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. महाधिवक्ता से क्या तात्पर्य हैं ?

उत्तरः– अनुच्छेद–165 में वर्णित यह पद राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार एवं राज्य सरकार के विधिक मामलों की कोर्ट में पैरवी करता हैं (नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा)

2. मानवाधिकार आयोग के कोई दो कार्य लिखिए ?

- मानवाधिकारों का प्रचार–प्रसार, संरक्षण व क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।
- मानवाधिकारों के उल्लघंन पर शिकायतों की सुनवाई, जेल, सुधार गृह व किशोर गृहों का निरीक्षण करना ।

3. लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के संदर्भ में क्या प्रावधान हैं ?

उत्तरः–अनुच्छेद 316 के अन्तर्गत सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं व इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता हैं।

4. लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने के क्या आधार हैं ?

i. सुप्रीम कोर्ट की जाँच द्वारा साबित कदाचार

ii.दिवालियापन

iii. मानसिक/शारीरिक अक्षमता

iv. पदावधि के दौरान अन्य वैतनिक नियोजन में होना ।

5. मानवाधिकार आयोग की प्रकृति बताइयें ?

उत्तरः–मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक, सलाहकारी (दाण्डिक अधिकार नहीं)एवं अर्द्धन्यायिक (सिविल कोर्ट की शक्ति) हैं।

6. वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की भूमिका पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए ?

उत्तरः–प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख कार्यों में प्रधानमंत्री को प्रधान के रूप में दायित्वों के निर्वहन में सहायता करना, जनसंपर्क व मीडिया सम्पर्क रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि से सम्पर्क स्थापित करना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना व अन्य सभी अवशिष्ट कार्य जो विभागों में वितरित न किये गये हो सम्मिलित हैं। वर्तमान में सरकार की इस पर निर्भरता में वृद्धि हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं का पर्यवेक्षण किया जा रहा हैं एवं महत्वपूर्ण मुद्दों (उदाहरण–नोट बंदी, जम्मू–कश्मीर इत्यादि) में इसकी भूमिका में वृद्धि प्रजातंत्र में हस्तक्षेप माना गया है।

7. मानवाधिकार आयोग की सीमाएँ व इसे शक्तिशाली बनाये जाने हेतु सुझाव लिखिए ?

उत्तरः–मानवाधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था होते हुए भी इसे मात्र सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है अतः इसकी दाण्डिक आधिकारिता बढ़ायी जानी चाहिए। सैन्य बलों व अर्द्ध सैन्य बलों के संदर्भ में इसकी सीमाएँ हैं। एवं जिला स्तर पर भी मानवाधिकार संस्थाओं का गठन कर जागरूकता एवं संरचनात्मक समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सहयोग एवं अन्य आयोगों से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इसकी सलाह को गंभीरता से लिया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाये।

8. भारत जैसे राष्ट्र में नियन्त्रण व महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ?

उत्तरः–नियन्त्रण व महालेखा परीक्षक (कैग) लोक वित्त के संरक्षण होने के साथ–साथ देश की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक हैं। कैग का दायित्व सरकारी धन के व्यय के विधिक परीक्षण, (प्रयोजनार्थ व्यय की जाँच व सत्यापन), प्राधिकार परीक्षण एवं औचित्य परीक्षण (तर्कसंगतता एवं मितव्ययता) करना हैं। कैग की महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी इसके पद के औचित्य के संदर्भ में भिन्न भिन्न आलोचनाएँ की जाती है। यह माना जाता है कि कैग की भूमिका नियंत्रक की न के बराबर व महालेखा परीक्षक की अधिक मानी जाती हैं, क्योंकि कैग का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त इस पद को औपनिवेशिक विरासत की देन माना जाता है एवं इस पद के सामान्यज्ञ होने के संदर्भ में भी आलोचना की जाती है। इसके साथ ही कैग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, इस संदर्भ में भी इसके औचित्य पर प्रश्न चिह्न लगता हैं परन्तु कैग की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका के माध्यम से कार्यवाही के उदाहरण दृष्टिगोचर हुए है। इसके अतिरिक्त विगत कुछ वर्षों में सक्षम व्यक्तित्व के व्यक्ति कैग बनने पर इस पद का इष्टतम स्वरूप (2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉल ब्लॉक घोटाला इत्यादि) परिलक्षित हुआ हैं। अतः लोकतंत्र एवं लोकवित्त के प्रहरी के रूप में कैग की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

सारथि एकेडमी